



राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल द्वारा निर्मित बहुमंजिलीय आवासों के लिये पंजीकरण एवं व्ययन हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें

“स्ववित्त पोषित कावेरी अपार्टमेंट्स योजना-2007”

मानसरोवर, जयपुर के लिये

राजस्थान आवासन मंडल का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम संख्या 4/1970 के अन्तर्गत सन् 1970 में राज्य में मकानों की कमी पूर्ति हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है।

मण्डल का विशेष रूप से ध्यान आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिये मकान उपलब्ध कराने पर केन्द्रित रहा है। यद्यपि यह कार्य काफी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है, फिर भी मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे मकान बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्क संगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

“स्ववित्त पोषित कावेरी अपार्टमेंट्स” आवासीय योजना, मानसरोवर (जयपुर)

मण्डल द्वारा जयपुर शहर के मानसरोवर सेक्टर-1 के मुख्य आबादी क्षेत्र में “कावेरी अपार्टमेंट्स” आवासीय योजना प्रारम्भ की जा रही है। जिसमें इक्कीस फ्लेट्स का निर्माण मण्डल द्वारा निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	आय वर्ग (श्रेणी)	कुल फ्लेट्स की संख्या	अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल	
			वर्ग फीट में	वर्ग मी. में
1.	उच्च आय वर्ग “अ”	13	1615.18	150.11
2.	उच्च आय वर्ग “ब”	8	1528.13	142.02

“कावेरी अपार्टमेन्ट्स” आवासीय योजना की विशेषताएँ:—

“कावेरी अपार्टमेन्ट्स” आवासीय योजना, मानसरोवर, सेक्टर-1 में के.एल. सैनी क्रिकेट स्टेडियम के समीप कावेरी पथ पर प्रस्तावित है। उक्त योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है:—

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. अजमेर रोड | 0.5 कि.मी. |
| 2. रेलवे स्टेशन | 6 कि.मी. |
| 3. एयरपोर्ट सर्किल | 6 कि.मी. |
| 4. प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा | 0.5 कि.मी. |
| 5. गोपालपुरा बाई पास | 0.5 कि.मी. |

विशेषताएँ:—

1. देश विदेश में ख्याति प्राप्त वास्तुविद द्वारा स्टिल्ट एवं 4 मंजिले फ्लेटों की संरचना।
2. **योजना के प्रत्येक फ्लेट में तीन शयन कक्ष, ड्राईंग/डाईनिंग, रसोई घर, बालकॉनी, 3 शौचालय, स्टोर इत्यादि होंगे।**
3. पार्किंग सुविधा (प्रत्येक आवंटी को कवर्ड)।
4. प्रत्येक इमारत (बिल्डिंग) में लिफ्ट एवं अग्निशमन यंत्रों की सुविधा।
5. प्रत्येक इमारत (बिल्डिंग) की भूकंप अवरोधी संरचना।
6. अण्डर ग्राउण्ड, ऑवरहैड टैंक द्वारा पानी की समुचित आपूर्ति।
7. रेजीडेंट्स सोसायटी द्वारा रख-रखाव एवं सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था।
8. बहुमंजलीय योजना में 70% से ज्यादा खुला एवं हरित क्षेत्र।

पंजीकरण की शर्तें:—

1. आवासीय फ्लेट्स का आवंटन राज. आवासन मण्डल के डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेगुलेशन 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी अधिनियमों व उपनियमों एवं अनुबंधों के अनुसार किया जावेगा।
2. इस स्ववित्त पोषित योजना में सामान्य आवेदकों एवं मानसरोवर, सांगानेर, आमेर एवं इंदिरा गांधी नगर योजना के ऐसे पूर्व पंजीकृत आवेदकों, जिन्हें

आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया गया है, अपना आवेदन दे सकेंगे। परन्तु जिन आवेदकों द्वारा रामकृष्ण अपार्टमेंट्स में आवेदन किया हुआ है, वे आवेदक इस योजना में पंजीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे। उच्च आय वर्ग के फ्लैट हेतु मूलरूप से उच्च आय वर्ग में पंजीकृत आवेदकों को वर्षवार एवं वरियता क्रमानुसार प्रथम वरियता तथा मध्यम आय वर्ग (ब) को द्वितीय वरियता वर्षवार एवं वरियता क्रमानुसार प्रदान की जावेगी।

3. इस योजना में जयपुर शहर के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को प्रथम वरियता दी जावेगी।
4. नये पंजीकरण की स्थिति में आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।

(क) स्वयं के लिये

- (i) वेतन
- (ii) विशेष वेतन
- (iii) मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
- (iv) शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
- (v) गृह/सम्पत्ति/व्यापार से आय
- (vi) विनियोग से ब्याज
- (vii) कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में करने (Computation) योग्य हो

(ख) उपर्युक्त (क) (i) से (vii) तक के सम्बन्ध में पति/पत्नी की आय

(ग) उपर्युक्त (क) (i) से (vii) तक के सम्बन्ध में आश्रितों की आय

5. नये आवेदक का आय वर्ग निर्धारण के लिए क्र.सं. 3 के अनुसार समस्त स्रोतों से दिनांक 31.3.2007 को कुल वार्षिक आय निम्नानुसार होनी चाहिए।

क्र.सं.	आवेदक का आय वर्ग	कुल वार्षिक आय
1.	उच्च आय वर्ग	रु. 1,38,001 से अधिक

6. इस योजना में आवेदन तिथि के पश्चात निर्धारित कार्यक्रमानुसार क्र.सं. 2 के अनुसार वरीयता सूची बनाई जायेगी और उपलब्ध बहुमंजिले आवासों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आरक्षण लॉटरी के पश्चात् शेष रहे आवेदकों को इस योजना के पेटे प्राप्त पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
7. आवेदक का जयपुर में स्वयं का अथवा परिवार के आश्रित किसी सदस्य (अविवाहित बच्चों सहित) का जयपुर विकास प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित आंशिक अथवा पूर्ण अधिकृत लीज या फ्री होल्ड आधार पर आवास/भूखण्ड नहीं होना चाहिए।
8. राजस्थान आवासन मंडल सम्पत्ति निस्तारण विनिमय 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नि में से कोई एक आवेदक ही आवास आवंटन की पात्रता रखेगा। दोनों के आवेदन की जानकारी होने एक आवास सदैव निरस्त किये जाने योग्य होगा।
9. इस योजना में जयपुर शहर के मानसरोवर, सांगानेर, आमेर एवं इंदिरा गांधी नगर के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को क्रमशः अनुसार वरीयता दी जावेगी।
10. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे लिफ्ट, जीना (स्टेयर केस) अहाते की दीवार, बगीचे, खुले, स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड एजेन्सी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राज. आवासन मण्डल के नियमों तथा उप नियमों के अनुसार होगा। आवासों का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा कि आवंटी उपरोक्त नियमों का पालन करेगा। रख-रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा।
11. इस योजना में पंजीकरण राशि निम्नानुसार है:—

आय वर्ग	पंजीकरण राशि
उच्च आय वर्ग "अ"	2,99,700 /— रूपये
उच्च आय वर्ग "ब"	2,81,900 /— रूपये

12. अ. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करानी होगी।
- ब. वर्तमान में सेवारत थल सेना, नौ सेना व वायुसेना के सैनिकों को निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग ही जमा कराना होगा।
13. यदि आवेदक का पंजीकरण आवेदन पत्र में किसी कमी के कारण से मण्डल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो आवेदक की जमा राशि में से प्रशासनिक व्यय के विरुद्ध 5% राशि की कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा लौटा दी जावेगी। इस अवधि का मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
14. इस योजना के अन्तर्गत सफल आवेदकों को मंडल द्वारा आरक्षण पत्र जारी किये जाने की तिथि से 1, 7, 13 एवं 19 माह में निम्न प्रकार किशतों में सम्पूर्ण लागत का भुगतान देय होगा।
- | | |
|--------------|--|
| प्रथम किशत | भूमि की लागत आरक्षण-पत्र जारी होने के समय प्रभावी भूमि मूल्यानुसार + 10% निर्माण लागत – पंजीकरण राशि |
| द्वितीय किशत | 30% निर्माण लागत |
| तृतीय किशत | 30% निर्माण लागत |
| चतुर्थ किशत | 30% निर्माण लागत |
15. इस योजना के अन्तर्गत बहुमंजिले आवासों का निर्माण कार्य "डिपोजिट वर्क" की तरह से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर मंडल द्वारा न तो कोई ब्याज देय होगा न ही मंडल आवेदकों से कोई ब्याज लेगा।
16. इस स्ववित्त पोषित योजना में पंजीकरण कराने वाले पूर्व पंजीकृत आवेदकों को उनकी सम्पूर्ण पंजीकरण राशि पर पंजीकरण कराने की तिथि से आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज देय होगा। पूर्व में जमा राशि का समायोजन प्रथम किशत में किया जाकर शेष राशि तीन सम छमाही किशतों में उल्लेखित तिथि तक जमा करानी होगी। जमा राशि पर ब्याज आवंटन पत्र में समायोजित किया जावेगा।

17. इस स्ववित्त पोषित योजना में सफल आवेदकों को आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से 30 माह की अवधि में लाटरी द्वारा आवास संख्या आवंटित कर आवंटन/कब्जा पत्र जारी करने का प्रयास रहेगा। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आवास का आवंटन पत्र जारी नहीं हो पाता है तो उक्त अवधि के पश्चात् सम्पूर्ण जमा राशि पर छः प्रतिशत ब्याज देय होगा।

आवेदकों को देखरेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति के दौरान ही आवासों का आवंटन कर दिया जावेगा। जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।

18. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरियता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
19. मंडल अपने द्वारा निर्मित आवासों का मूल्य निश्चित करने के लिए पूर्णतः प्राधिकृत है और इस संबंध में मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।
20. निम्न तालिका में आवासों की अनुमानित लागत बताई जा रही है। चूँकि मण्डल आवासों का आवंटन बिना लाभ बिना हानि सिद्धान्त के आधार पर करता है, अतः मण्डल द्वारा आवंटन के समय निर्धारित की गई अंतिम लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।
21. **“कावेरी अपार्टमेन्ट्स” योजना 2007 में आवंटित होने वाले आवासों की अनुमानित लागत**

आय वर्ग	आवासों की संख्या	अनुमानित लागत (रु.)
उच्च आय वर्ग “अ”	13	29,97,000.00
उच्च आय वर्ग “ब”	8	28,19,000.00

- नोट :
1. आवश्यकता होने पर योजना में निर्मित किये जाने वाले फ्लेट्स की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
 2. स्टिल्ट एरिया में आरक्षित पार्किंग की लागत पृथक से देय होगी।
 3. आरक्षित पार्किंग का आवंटन प्राप्त आवेदनों पर लॉटरी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

22. योजना में विभिन्न श्रेणी के आवेदकों को निम्न प्रकार आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

1. अनुसूचित जाति	8.0 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	6.0 प्रतिशत
2. राज के सांसद / विधायक / अधिस्वीकृत पत्रकार	2.5 प्रतिशत
3. भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाएं	3.0 प्रतिशत
4. स्वतंत्रता सैनानी	1.0 प्रतिशत
5. विकलांग	1.0 प्रतिशत
नेत्रहीन	1.0 प्रतिशत
मूक बधिर	1.0 प्रतिशत
6. पेन्शन भोगी	4.0 प्रतिशत
7. मण्डल कर्मचारी	3.0 प्रतिशत
8. वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक	0.75 प्रतिशत
9. एशियाड / ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	0.5 प्रतिशत

नोट: 1. क्रम सं. 1 एवं 5 के अन्तर्गत अगर उपवर्ग विशेष में आवेदन कम प्राप्त होते हैं तो उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग में अंतरित कर दिये जावेगें।

2. आवंटन किए जाने वाले बहुमंजिले आवासों में से 36 प्रतिशत आवास वेतन भोगी व 4 प्रतिशत पेंशन भोगी वर्ग के आवेदकों (सरकारी / सार्वजनिक / निजी क्षेत्र) के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। यदि आरक्षित कोटा के आवासों के लिए पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो इन्हें अनारक्षित वर्ग के लिए अन्तरित कर दिया जायेगा।

23. आवास का कब्जा लेते समय एवं कब्जे के पश्चात आवंटी द्वारा विविध खर्चे देय होंगे जिनका मकान के विक्रय मूल्य में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे:—
क. लीज राशि: नियमानुसार देय होगी।
ख. अन्य खर्चे : अन्य विविध खर्चे जो मण्डल समय—समय पर निर्धारित करे।
24. आवेदक को लॉटरी द्वारा आवास आवंटित किये जाने के पश्चात आवास की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु आवेदक को आवंटन—पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त आवंटन पत्र की मांग राशि जमा कराने के लिये समयावधि मण्डल द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही कर आवास का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा, किन्तु यदि आवंटी द्वारा निरस्तीकरण से पूर्व वांछित राशि जमा करवादी जाती है तो मण्डल द्वारा नियमानुसार आवंटी से विलम्ब की अवधि का ब्याज वसूलनीय होगा। आवंटी का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिये जाने की स्थिति में जमा कुल पंजीकरण राशि में से 20% की कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
25. मंडल के फ्लेट केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और नही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
26. सम्पत्ति निपटारा विनियम 1970 के नियम 17 व 18 में अभिकथित संबंधित अधिकारियों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी के संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि।
27. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापिस लेने के लिए सक्षम होगा व जमा राशि में से 5 प्रतिशत कटौती करते हुए जमा राशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

28. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से निम्नांकित फिटिंग / फिक्चर्स आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा।
1. विद्युत / फिटिंग / फिक्चर्स
 2. सेनेटरी फिटिंग
 3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
29. संपत्ति निपटारा विनियम 1970 के विनियम संख्या 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं संपत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और उसे किसी आगामी प्रक्रम (Step) पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग स्थापना करने का अधिकार नहीं होगा।
30. मंडल अपनी योजनाओं / नक्शों / आवासों में परिवर्तन / परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा तथा क्र.सं. 16 के अनुसार या किसी भी अन्य रीति से जैसा कि मंडल द्वारा निर्धारित किया जावे, बकाया रकम का भुगतान करना होगा।
31. पंजीकरण / आरक्षण / आवंटन बोर्ड द्वारा बनाये गये नियमों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों तथा विनियमों को बनाने / परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
32. पंजीकरण की राशि बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट का पूर्ण विवरण अर्थात् संख्या, दिनांक तथा संबंधित बैंक जिससे ड्राफ्ट प्राप्त किया गया है, चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। **बैंक ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मंडल के पक्ष जयपुर में देय होना आवश्यक है। आवेदन-पत्र, संलग्न चालान, बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा उप-आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय, मानसरोवर, जयपुर के पते पर दिनांक 10.01.2008 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।**

33. आवेदक अपने पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित अधिकारी सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, मानसरोवर, जयपुर को कार्यालय के पते पर दें। मूल पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मंडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वरियता व आय वर्ग अवश्य लिखें।
34. वित्तीय सुविधायें: हुड़को, एच.डी.एफ.सी., केनफिनहोम्स तथा पी.एन.बी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बॉब हाउसिंग फाइनेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम इत्यादि वित्तीय संस्थाओं से आवासन मंडल से नकद भुगतान पद्धति योजना के अन्तर्गत मकान लेने वाले आवेदक / आवंटियों को ऋण की सुविधा प्राप्त है।
35. योजना को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

- i. लाटरी से जो भी आवास जिस मंजिल पर भी आवंटित होगा उसे किसी भी दशा में बदला नहीं जावेगा।
- ii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- iii. आवास आवंटन / कब्जे के बाद आवास का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- iv. इस योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- v. इस योजना में एक आवेदक का एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet). राजस्थान आवासन मण्डल के निम्नलिखित कार्यालय से रूपये 200 /- नगद देकर व्यक्तिशः अथवा रूपये 250 /- का बैंक ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर जो कि राजस्थान आवासन मण्डल (Rajasthan Housing Board) के पक्ष में जयपुर स्थित किसी भी बैंक में देय हो, भेजकर डाक से प्राप्त किया जा सकता है।

शहर का नाम	कार्यालय का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर
जयपुर	कार्यालय उप आवासन आयुक्त राज. आ. मंडल, वृत्त – द्वितीय, मानसरोवर, जयपुर फोन: 0141-2782772

योजना में सुविधायें

1. प्रस्तावित स्थल पूर्ण विकसित के.एल. सैनी क्रिकेट स्टेडियम के समीप।
2. परिसर में एकल दरवाजे पर सुरक्षा चौकी का प्रावधान।
3. मानसरोवर योजना में स्थित शॉपिंग सेन्टर एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें निकट ही उपलब्ध।
4. लैण्ड स्केपिंग व पार्क का प्रावधान।
5. वाहन पार्किंग का समुचित प्रावधान।

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु :

यह सुनिश्चित करलें कि:-

1. आप जिस आय वर्ग में आते हैं, उसके अनुसार पंजीकरण की पूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि राजस्थान आवासन मण्डल के पक्ष में जयपुर स्थित किसी भी बैंक में देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है। बैंक ड्राफ्ट तथा चालान की प्रति आवेदन-पत्र के साथ जमा करा दी गई है।
2. आवेदन-पत्र में आवास की श्रेणी (कॉलम संख्या 9) में भरते हुए स्पष्ट रूप से शब्दों में लिख दी गई है।
3. आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं सत्यापित करा दिये गये हैं।
4. आवेदन-पत्र पर लगाये गये फोटो राजपत्रित/नोटेरी पब्लिक के द्वारा सत्यापित कराली गई है।
5. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया गया है।
6. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है भर दी गयी है।

समस्त आवेदकों के लिए

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पत्नी श्री

सशपथ बयान करती हूँ कि :-

1. मेरे पास स्वयं या पति के नाम से जयपुर शहर में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित कोई भी मकान किसी भी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।
2. मुझ पर आश्रित किसी भी वयस्क अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्री/पुत्री के नाम आवासन मण्डल द्वारा आवंटित कोई भी मकान किसी भी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।
3. मुझे मेरे पति या मुझ पर आश्रित वयस्क अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री को स्थानीय निकाय जैसे नगर विकास न्यास, नगर पालिका अथवा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड लीज होल्ड/फ्री होल्ड पर आवंटित नहीं हुआ है।
4. मैंने अथवा मुझ पर आश्रित सदस्यों ने मकान आवंटित करने के लिये इससे पूर्व राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पत्नी श्री

जाति निवासी

सत्यनिष्ठा से घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ ग्रहिता

हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 10/- रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

वेतनभोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीआयु जाति
..... निवासी (अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो
अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँ—

1. कि मुझे राजकीय/प्राइवेट नौकरी से प्राप्त वेतन पारिश्रमिक भत्ता आदि से वर्ष
200.....-200..... में कुल रुपये प्राप्त हुए जिसका विवरण निम्नानुसार
है:—

अ. मूल वेतन ब. मंहगाई भत्ता
स. विशेष वेतन द. विशेष भत्ता

2. कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी/पति तथा मुझ पर आश्रित वयस्क/अवयस्क
पुत्र/पुत्रियों की 200.....-200..... की वार्षिक आय सभी स्रोतों से
रुपये थी। इस प्रकार मेरे परिवार की कुल आय रुपये थी। इसके
प्रमाण—पत्र संलग्न है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीआयु जाति
..... निवासी सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती
हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में हैं एवं सत्य है मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं
है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर निशानी अंगूठा

(वेतन प्रमाण—पत्र नियोजक एवं विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा शपथ—पत्र
नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना
चाहिए।)

गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण-पत्र हेतु शपथ-पत्र

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पत्नी श्री आयु
वर्ष जाति निवासी
..... (अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ
बयान करती हूँ -

1. कि हमारी वर्ष 200.... -200.... में वार्षिक आय समस्त स्रोतों से निम्न प्रकार थी :-
 - अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्रोतों से
..... रुपये थी।
 - ब. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार में भागीदारी
उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग अन्य स्रोतों से वार्षिक आय
..... रुपये थी।
 - स. कि वित्तीय वर्ष 200.... - 200.... में हमारी कुल आमदनीरुपये थी।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पत्नी श्री
जाति निवासी
सत्यनिष्ठा से घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में है एवं सत्य हैं मैंने कोई
भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(उपरोक्त शपथ-पत्र 10/- रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा
नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करा कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है
लॉटरी में सफल आवेदकों को निर्धारित अवधि में तहसीलदार से जारी आय प्रमाण-पत्र
संलग्न करना होगा।)

वेतन भोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री इस विभाग में पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र / राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र / राजस्थान सरकार के उपक्रम के नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल मासिक आय रुपये प्रतिमाह है।

दिनांक
स्थान

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग / उपक्रम का नाम

अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री निवासी जिला संभाग राज्य जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति / जनजाति ; सूचीद्ध संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति / जनजाति में हैं

श्री / श्रीमती / सुश्री और इनका परिवार, साधारणतः नगर राज्य संघ क्षेत्र जिला के निवासी है। आज दिनांक को यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर तथा इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया है।

हस्ताक्षर

पद

(कार्यालय की मोहर सहित)

नोट: यहां प्रयोग लिये गये साधारण निवासी का अर्थ वही होगा जो कि रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट 1950 की धारा 20 में अंकित है।

स्वतंत्रता सैनानियों के लिए

शपथ-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुत्र
श्री निवासी जिला
..... स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष में राज्य सरकार
द्वारा ताम्र-पत्र/प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर
जिलाधीश / उप सचिव
सहायक सचिव (प्रकाशन)
राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुत्र
श्री निवासी ने वर्ष
..... में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

- 1.
- 2.
- 3.

ये वर्ष से तक सेवा में रहे
अलंकृत अधिकारी है।

सचिव
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड